न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 143/2014 **दायरा दिनांक : 19.08.2014**

उनवान

1— मोहनलाल पुत्र रामनारायण, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

2— कालीबाई पुत्री रामनारायण, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

3— कैलाश बाई पुत्री रामनारायण, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

4— सूरजीबाई पुत्री रामनारायण, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— कन्हैयालाल पुत्र केदार, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

2— प्रहलाद पुत्र केदार, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

3— कालूलाल पुत्र केदार, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

4— भंवर बाई पुत्री केदार, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

5— प्रेम बाई पुत्री केदार, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

6— रूकमणी बाई पुत्री केदार, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

7— कौशल्या बाई पुत्री केदार, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

8— मनभर बाई पुत्री केदार, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

9— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 151/2014 **दायरा दिनांक :26.08.2014**

उनवान

1— मोहनलाल पुत्र रामनारायण, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

2— सूरजी बाई पुत्री रामनारायण पत्नी पप्पूलाल, जाति मीणा, निवासी आंकेडा व टापूता की झोपडिया, तहसील अटरू, जिला बारां

3— काली बाई पुत्री रामनारायण, जाति मीणा पत्नी पूरणमल, जाति मीणा, निवासी रामनिवास व आंकेडा, तहसील अटरू, जिला बारां

4— कैलाश बाई पुत्री रामनारायण पत्नी जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी रामनिवास व आंकेडा, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— कालूलाल पुत्र केदार, जाति मीणा दत्तक पुत्र नेनगा उर्फ नेनकीलाल, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

2— कंचन बाई पुत्री घासीलाल पत्नी रामप्रताप, जाति मीणा, निवासी सकरावदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— कन्हैयालाल पुत्र केदार, जाति मीणा, निवासी आंकेडा, तहसील बांरा, जिला बारां

4— प्रहलाद पुत्र केदार, जाति मीणा, निवासी आंकेडा, तहसील बांरा, जिला बारां

5— भंवर बाई पुत्री केदार पत्नी द्वारकीलाल, जाति मीणा, निवासी आंकोदिया, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6— प्रेमबाई पुत्र केदार पत्नी बूची लाल, जाति मीणा, निवासी जालेडा, तहसील बारां, जिला बारां

7— रूकमणी बाई पुत्री केदार पत्नी जगदीश, जाति मीणा, निवासी भडसूई, तहसील बारां, जिला बारां

8— कौशल्या बाई पुत्री केदार पत्नी रामकुमार, जाति मीणा, निवासी रामनिवास तहसील अटरू, जिला बारां

9— मनभर बाई पुत्री केदार पत्नी मोहन लाल, जाति मीणा, निवासी माता जी मूसेन, तहसील अटरू, जिला बारां

10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 14.11.2017**

1— ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2— ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 93/2011 व 80/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

3— अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा रेस्पोडेंट कालूलाल के द्वारा अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया और यह कथन किया गया कि ग्राम जालेडा की जमाबंदी संख्या नयी 12 पुरानी 24 की खसरा नम्बर 112 रकबा 2.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.02 हेक्टर कुल 3 किता की 2.72 हेक्टर व खाता संख्या नया 27 की खसरा नम्बर 656 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 657 रकबा 0.10 हेक्टर कुल 2 किता की 0.39 हेक्टर आराजी स्थित है जो वादग्रस्त आराजी है । खसरा नम्बर 112, 154 और 155 की आराजी आपस में मिली हुई जो एक चक के रूप में है । इस आराजी के पूर्व मालिक घासी थे उनकी मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र नेनगा, केदार और रामनारायण के मध्य सहमति से बंटवारा हो गया था और अपने अपने हिस्से पर वो काबिज काश्त रहे । नेनगा के कोई पुत्र नहीं था । वादी को नेनगा ने बचपन में ही अपना पुत्र मानकर रखा था । वादी ने ही नेनगा की अवेर सवेर की थी और आराजी को काश्त किया । नेनगा का एक मात्र वारिस वादी ही है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने इंतकाल नम्बर 353 में नेनगा को ला औलाद बताते हुए रामनारायण के

वारिस और केदार के पक्ष में इंतकाल तस्दीक किया, जबकि वादी एक मात्र वारिस था और नेनगा के द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत लिखी गयी थी और खाता संख्या 27 की आराजी नेनगा ने स्वयं बनायी थी । यह आराजी नेनगा को आवंटनशुदा थी । इस आराजी का एक मात्र स्वामी नेनगा था जिसका एक मात्र उत्तराधिकारी वादी है, परन्तु इस आराजी का राजस्व कर्मचारियों ने गलत रिपोर्ट दर्ज कर रामनारायण के वारिसान और केदारलाल के नाम दर्ज कर दिया है । अतः दावा वादी स्वीकार कर खसरा नम्बर 112, 154 और 155 में वादी का 1/3 हिस्सा घोषित कर आराजी का बंटवारा किया जाये और खसरा नम्बर 656 और 657 की आराजी में वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाये ।

4— एक अन्य दावा मोहन लाल एवं अन्य ने कन्हैया लाल एवं अन्य के खिलाफ धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया गया कि ग्राम जालेडा की आराजी खाता संख्या 27 खसरा नम्बर 656 और 657 की कुल 0.39 हेक्टर आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 112, 154 और 155 में भी वादीगण का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है । तद्नुसार आराजी को पृथक पृथक खातों में दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों को समेकित कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसके अनुसार वादी कालू लाल का दावा स्वीकार कर वादी को खसरा नम्बर 112, 154 और 155 में 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया है और खसरा नम्बर 656 और 657 का तन्हा खातेदार घोषित किया है और दावा संख्या 93/2011 को खारिज किया है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर ये दोनों अपीले पेश की गई हैं ।

5— अपील संख्या 143/2014 अपीलांटगण मोहनलाल एवं अन्य ने पेश की है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद खारिज करके अपीलांट के साथ अन्याय किया है । कालूलाल ने एक फर्जी अपंजीकृत वसीयत पेश की थी, जिसके आधार पर उन्हें 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो विधि विरूद्ध है । वसीयत सन् 2000 में लिखी गई है जिसके स्टाम्प सन् 1995 का खरीदा होना बताते हैं । सन् 2006 में केदार की मृत्यु हुई है उसी वर्ष नामान्तरकरण अपीलांट के नाम दर्ज हुआ है । वाद सन् 2011 में पेश किया है । वसीयत को सिविल न्यायालय से प्रमाणित नहीं करवाया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6— अपील संख्या 151/2014 मोहनलाल एवं अन्य के द्वारा पेश की गई है और यह कथन किया है कि नेनगा के कोई संतान नहीं थी, इस कारण इंतकाल संख्या 353 से 1/2 भाग पर अपीलांटगण और 1/2 भाग में केदार के वारिसान का नाम दर्ज किया गया । कालूलाल एक वसीयत के आधार पर हक घोषणा की प्रार्थना करते हैं जिसके अनुसार तनकी नम्बर 2 कायम हुई । यह वसीयत प्रदर्श—6 है । इस वसीयत को प्रमाणित मानकर त्रुटि की है । स्टाम्प सन् 1995 का है । वसीयत सन् 2000 में लिखी गई है । टंकणकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है । नोटेरी से प्रमाणित नहीं है । गवाहों के बयानों में विरोधाभास है फिर भी वसीयत को प्रमाणित माना है । कालूलाल नेनगा का दत्तक पुत्र नहीं था । अपीलांट वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

7— दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

8— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं । वादग्रस्त आराजी में उनका 1/2 हिस्सा निहित है । इसी अनुसार विभाजन का दावा पेश किया गया था । कालू लाल नेनगा का पुत्र नहीं है और न ही उनके पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित की गई थी । वसीयत कूटरचित है, आराजी पैतृक है जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती है । स्टाम्प सन् 1995 में खरीदा गया है वसीयत सन् 2000 में लिखा जाना बताया जा रहा है जो संदेहास्पद है । अपीलांटगण के पक्ष में इंतकाल सन् 2006 में ही खोला गया था तब से वे इस आराजी पर बहेसियत काबिज काश्त है । अतः दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में 2008 डी एन जे एस सी पेज 875, 2007 V एस एल टी पेज 215, आर आर डी 2009 पेज 183, 2006 ।।। एस एल टी पेज 463 उद्धरत की ।

9— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि नेनगा के कोई औलाद नहीं थी । नेनगा ने वादी के पक्ष में वसीयत की थी जिसको विधिक रूप से प्रमाणित करवाया गया है । वसीयत का पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है । कंचन बाई के बयान कराये गये हैं । जो डी डब्ल्यू 2 के रूप में पत्रावली में सलंग्न है । अपीलांट के द्वारा अपने पक्ष में कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किये गये हैं । मोहन लाल के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के बयान नहीं कराये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी का दावा डिक्री किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में डी एन जे एस सी 2003 (3) पेज 765, डी एन जे 2001 एस सी पेज 510, सी

डी आर 2004 पेज 619 (एस सी), आर आर डी 1984 पेज 391 उद्धरत की ।

10— हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 80/2011 में नकल जमाबंदी सम्वत 2067—70 एक्जीविट 1, नकल जमाबंदी सम्वत 2067—70 एक्जीविट 2, नकल नामान्तरकरण संख्या 353 एक्जीविट 3, नकल नामान्तरकरण संख्या 430 एक्जीविट 4, नकल नोटिस एक्जीविट 5, वसीयतनामा एक्जीविट 6 पेश किये हैं और बयान कालू लाल पी डब्ल्यू 1, घनश्याम पी डब्ल्यू 2, चतुर्भुज पी डब्ल्यू 3 कराये गये हैं । प्रतिवादीगण की ओर से गवाह मोहन लाल डी डब्ल्यू 1 कंचन बाई डी डब्ल्यू 2 करवाये गये हैं ।

11— वादी कालू लाल के द्वारा वसीयत के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया गया है । यह वसीयत एक्जीविट 6 के रूप में पत्रावली पर सलंग्न है । इस वसीयत के गवाह घनश्याम पी डब्ल्यू 2 के रूप में न्यायालय में पेश हुए हैं । वसीयत का अवलोकन किया गया । वसीयत का स्टाम्प दिनांक 03.01.1995 को कोषाधिकारी कार्यालय से जारी हुआ है इसके पृष्ठ भाग पर क्रम संख्या 3916 दिनांक 03.01.1995 अंकित है और इसमें ओवर राईटिंग हो रही है । पृष्ठ भाग पर स्टाम्प विक्रेता की मोहर एवं अन्य विवरण अंकित नहीं है कि स्टाम्प कब किस को किस उद्देश्य से विक्रय किया गया । वसीयत में तहरीर की तारीख दिनांक 10.06.2000 अंकित है। 1995 के स्टाम्प पर सन् 2000 में वसीयत तहरीर की गई है। गवाह घनश्याम के बयान पत्रावली में पी डब्ल्यू 2 के रूप में व गवाह चतुर्भुज के बयान पी डब्ल्यू 3 के रूप में सलंग्न है। पी डब्ल्यू 2 ने इस वसीयत पर ए टू बी अपने हस्ताक्षर होना और सी टू डी पर चतुर्भुज के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। जिरह में उनके द्वारा कथन किया गया है कि

स्टाम्प वकील साहब के यहां घर पर लिखाया गया था । वकील साहब जो नोटेरी करते थे उनके घर पर लिखा गया था, नाम याद नहीं है । इस प्रकार गवाह के बयान के अनुसार वकील साहब जो नोटेरी का कार्य करते थे उनके यहां स्टाम्प लिखा गया था परन्तु स्टाम्प पर न तो वकील साहब के हस्ताक्षर हैं और न ही यह नोटेरी से प्रमाणित है । वसीयत के दूसरे गवाह चतुर्भुज है उनके बयान पी डब्ल्यू 3 के रूप में पत्रावली में सलंग्न है ।

12— वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें स्वयं को नेनगा का गोद पुत्र बताया गया है, परन्तु वसीयत में कहीं भी कालू को नेनगा ने अपना गोद पुत्र नहीं बताया है । वसीयत में यह अंकित किया गया है कि वो केदार के साथ शामलाती में रहते हैं और उनका केदार और उनके पुत्रों से अत्यधिक स्नेह है । ऐसी स्थिति में केदार और उनके तीनों पुत्रों में से सिर्फ कालू के पक्ष में ही वसीयत क्यों की गई है यह वसीयत में स्पष्ट नहीं किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर वसीयत संदेहास्पद है और इस वसीयत को संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता हे । विद्वान अभिभाषक अपीलांट के द्वारा उद्धरित नजीर 2008 डी एन जे एस सी पेज 875 यहां चस्पा होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस वसीयत को प्रमाणित मानते हुए वादी कालू लाल के पक्ष में जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध है और खारिज होने योग्य है ।

13— यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आराजी में वादी कालू लाल को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है उसमें विभाजन की डिक्री पारित नहीं की गई है जबकि विभाजन की डिक्री पारित किया जाना आवश्यक था । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं इस कारण उनका उत्तराधिकार ओल्ड हिन्दू लॉ के अनुसार तय होगा । तदनुसार इस प्रकरण को ओल्ड हिन्दू लॉ

के अनुसार तय करने और पक्षकारों के मध्य आराजी का बंटवारा करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

14— उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 143/2014 एवं 151/2014 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 93/2011 व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2014 प्रकरण संख्या 80/2011 व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2014 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 13 में किये गये विवेचने के अनुसार पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व ओल्ड हिन्दू लॉ के परिपेक्ष्य में तय कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें और पक्षकारों के अधिकार तय होने के उपरान्त आराजी का विभाजन करने हेतु डिक्री जारी करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.01.2018 को उपस्थित होवें ।

15— निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा